

PM → राजीव गांधी ← PVK. राव समिति. 1985 (कार्ड समिति)

- ↳ गाँव के विकास के लिए "ग्रामिण विकास कार्यक्रम" का गठन हो
- ↳ जिला के विकास के लिए जिला विकास परिषद होगा।
- ↳ पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
- ↳ वित्तीय व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग होगा चाहिए।

✓ L.M. सिन्धी समिति, 1986 → P.M. → राजीव गांधी

→ पहला राज्य - MP

↳ पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाय।

↳ पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

↳ SC/ST को परिसिभन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान।

↳ महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

↳ विहार में → 50% MP - 50% आरक्षण - 50%.

↳ OBC का आरक्षण राज्य के विधान मण्डल द्वारा तय किया जाएगा।

असंख्या के  
अनुपात में  
सिटों का  
विभाजन.

↳ पंचायत के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन और वित्त आयोग होगा।

पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा

→ d.

अनु० २५३ क → २५३ ग

२५३ त - २५३ य च.

पंचायती राज  
द्विस

73वाँ CAA-1992 →

द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

24 April-1993

कार्य - 29 विषय

11वीं अनुसूची

प्रधानमंत्री

नरसिंह राव

74वाँ CAA-1993

नगरीय पंचायती राज व्यवस्था।

1 जून 1993 को

कार्य - 18 विषय

12वीं अनुसूची

P. K. थुंगन समिति, 1988.

- ↳ संवैधानिक आधार पर लागू पंचायती राज व्यवस्था का संभर्भन
- ↳ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आधार होना चाहिए
- ↳ आरक्षण उचित है।
- ↳ वित्त आयोग के स्थापना.

Note:- कांग्रेस के द्वारा पंचायत में सुधार करने के लिए सभी समितियों की सिफारिशों की समीक्षा के लिए गौडगिल समिति का गठन किया

## \* पंचायती राज व्यवस्था से सम्बंधित समिति :-

N.V. गोंडगिल  
समिति → समिधा  
समिति.  
P.K. खुंगन समिति  
1988

- ↳ बलवंत राय मेहता समिति, 1957 — विस्तरिय पंचायती राज
- ↳ अशोक मेहता समिति, 1977 — विस्तरिय पंचायती
- ↳ G.V.K. राव समिति, 1985 — कार्ड समिति
- ↳ L. मसिचंदी समिति - 1986 — संवैधानिक दर्जा
- ↳ संथापन समिति, 1962 — पंचायत में अष्टाधार रोकने लिए.
- ↳ साहिक अली समिति, 1964 → राजस्थान के पंचायत में पुधार.

SC → समाज में रहते हुए, अपेक्षित है।

ST → समाज से बाहर रहते हुए अपेक्षित।

पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अनु०

अनु० 243-A :- ग्राम सभा का गठन :-

↳ निर्वाचन सूची में शामिल व्यक्तियों का समूह ग्राम सभा का गठन करेगा।

↳ ग्राम सभा की घोषणा राज्यपाल के पूर्व अनुमति पर विधान सभा द्वारा किया जायेगा